कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2019–20 दिनांक : 12.9.19

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक/प्रारम्भिक–मुख्यालय

विषय : शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में कार्य कर फाईनल सबमिट की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, 2019 रात्रि 12.00 बजे तक बढाने हेतु।

प्रसंग:– शासन संयुक्त सचिव शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग के पत्र कमांक:–19(2)शिक्षा–6/2017 पार्ट जयपुर, दिनाक 12.09.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य सम्पन्न करने की अन्तिम तिथि 07.09.2019 नियत की गई थी। विद्यालयों एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से निरंतर प्राप्त हो रहे तकनीकी समस्याओं के संदेशों को ध्यान में रखते हुए एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए **शालादर्पण के छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2019 तक बढ़ाई जाती है।** ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि को और बढाया जाना संभव नहीं होगा। इस अवधि के दौरान संस्थाप्रधानों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जाने की स्थिति में आप द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। अतः अनिवार्यतः बढ़ाई गई अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करावें।

अन्य समस्त दिशा–निर्देश यथावत् रहेंगे।

(ओम कसेरा)
IAS
निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा
एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग,
राजस्थान,बीकानेर

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2018–19 दिनांक : 12.9.19

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग,राजस्थान, जयपुर
2. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शालादर्पण पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल हेतु कार्य सम्पादित करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2019 रात्रि 12.00 बजे तक बढाकर पोर्टल लॉक किया जाना सुनिश्चित करावें। पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं को जानकारी में आते ही अविलम्ब निस्तारित करवाएं।
3. सहायक निदेशक, शालादर्पण, कार्यालय हाजा, तकनीकी समस्याओं के प्राप्त होते ही एन.आई.सी. जयपुर से समन्वय स्थापित कर अविलम्ब निस्तारण करावें।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
5. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्यवक,समग्र शिक्षा अभियान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अनिवार्यतः पालनार्थ।
7. **समस्त संस्थाप्रधान राप्रावि/उप्रावि/रामावि/राबामावि/राउमावि/राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।**
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर